श्रम विभाग

दिनांक 24 अगस्त, 2006

संख्या 14/17/93-2श्रम.—बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61), की धारा 13 के साथ पठित तथा आगे धारा 18 की उप धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, श्रम विभाग अधिसूचना संख्या 14/17/93-6 श्रम, दिनांक 23 मई, 2000, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग में कार्य करने के लिए नियोजित अथवा बच्चों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा तथा आयु का प्रमाण-पत्र देने को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 2006, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, हरियाणा बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61);

(ख) 'मशीनरी के खतरनाक भाग' से अभिप्राय है, मशीनरी का कोई भाग जिससे साधारण कार्य करने के दौरान किसी खतरे का पूर्वानुमान हो, चाहे ऐसा खतरा लापरवाही या किसी बाहरी स्त्रोत से उत्पन्न हुआ हो;

(ग) 'प्ररूप' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) 'निरीक्षक' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया कोई व्यक्ति;

(ङ) 'रजिस्टर' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 11 के अधीन रखा जाने वाला अपेक्षित रजिस्टर;

(च) 'धारा' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;

(छ) 'अनुसूची' से अभिप्राय है, अधिनियम से संलग्न अनुसूची; तथा

(ज) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमश: अधिनियम में दिये गये हैं।

रजिस्टर का रख रखाव धारा-11

3. (1) प्रतिष्ठान का प्रत्येक अधिभोगी, कार्य के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालक के सम्बन्ध में प्ररूप क में एक रजिस्टर रखेगा।

(2) रजिस्टर वार्षिक आधार पर चालू हालत में रखा जायेगा किन्तु यह रजिस्टर नियोक्ता द्वारा उसमें की गई अन्तिम प्रविष्टि की तिथि के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

आयु का प्रमाण-पत्र धारा 18(2)(ग)

4. (1) अनुसूची के भाग क में बताए गए किसी व्यवसाय या किसी कर्मशाला में नियोजन या नियोजन के इच्छुक सभी बच्चे जिसमें अनुसूची ख में बताई गई किन्हीं प्रक्रियाओं को युवा व्यक्ति चलाता है समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे जब कभी निरीक्षक द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु का प्रमाण-पत्र प्ररूप ख में जारी किया जायेगा।

(3) ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को भुगतान योग्य प्रभार 16/-रुपये (केवल सोलह रुपये) होगा।

(4) चिकित्सा प्राधिकारी को भुगतानयोग्य प्रभार बालक जिसकी आयु प्रश्नगत है के नियोक्ता द्वारा वहन किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, "चिकित्सा प्राधिकारी" एक सरकारी चिकित्सा डाक्टर होगा, जो सिविल हस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यभारी की पदवी से नीचे का न हो या वह कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पैंसरी या हस्पतालों में नियोजित समकक्ष पद का नियमित डाक्टर हो।

5. (1) किसी प्रतिष्ठान के कारबार के बारे में नियोजित किसी बालक श्रमिक के काम के कुल घंटों की संख्या जिसमें खाना खाने और विश्राम का अंतराल शामिल है, किसी भी सप्ताह में तीस घंटे अथवा किसी एक दिन में पांच घंटे से अधिक नहीं होगी। कार्य के घन्टे। धारा 7(1)(2) तथा 18(2)(ख)

(2) किसी बालक श्रमिक को खाना खाने अथवा विश्राम के लिए कम से कम एक घण्टे के अंतराल के बिना लगातार तीन घण्टे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

6. प्रत्येक प्रतिष्ठान के परिसर,— स्वास्थ्य। धारा 13(2)

(i) साफ रखे जाएंगे तथा गन्दगी तथा कूड़ा-करकट के ढेर से मुक्त रखे जाएंगे;

(ii) समूचे काम के घन्टों के दौरान पर्याप्त रूप से प्रकाशित रखा जाएगा;

(iii) समुचित रूप से संवातित रखा जाएगा ताकि परिसर में पर्याप्त हवा तथा रोशनी आ सके;

(iv) वर्ष में कम से कम एक बार सफेदी तथा वार्निश करवाई जाएगी तथा पिछली सफेदी तथा वार्निश की अन्तिम तिथि को निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस, परिसर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) पीने योग्य पेय जल, शौचालय, पेशाबघर, धोने के स्थानों तथा थूकदान की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

7. (1) किसी प्रतिष्ठान में किसी मशीनरी के प्रत्येक खतरनाक भाग पर सारभूत संरचना के रक्षापालों द्वारा सुरक्षित बाड़ा लगाया जाएगा जोकि स्थिति में रखा जाएगा। जब इस प्रकार बाड़ा लगाई गई मशीनरी के भाग गति या उपयोग में हों। मशीनरी के इन खतरनाक भागों का प्रकार तथा बाड़ा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63), (61) की धारा 21 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा। बचाव। धारा 13(2)(ग)

(2) प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान में, जहां विनिर्माण कार्य बिजली शक्ति की सहायता से किया जा रहा है वहां आपातकाल में चलती हुई मशीनरी से बिजली काटने के उपयुक्त उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी तथा अनुरक्षण किया जाएगा।

(3) कोई भी कर्मचारी, ढीले कपड़े पहन कर चलती हुई मशीनरी या बैल्ट के पास जाने अथवा काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा और इस प्रयोजन के लिए टाईट फिटिंग वाले वस्त्रों की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा की जाएगी।

(4) नियोक्ता किसी तरह से खुले में लगे हुए कर्मचारियों की आंखों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त धूप चश्मे निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करेगा :—

(क) प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले कणों या टुकड़ों से आंखों को चोट लगने का खतरा;

(ख) अत्यधिक रोशनी के प्रकाशकरण के परिणामस्वरूप आंखों को खतरा।

(5) कोई भी बालक खतरनाक मशीनों जैले पावर प्रैस, मिलिंग मशीन, गोल आरा, गिलोटिन मशीन, छाल उतारने वाली मशीनें, कोल्हू और काटन ओपनर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात अथवा अपेक्षित नहीं होगा।

(6) सभी मंजिलों, चबूतरों, सीढ़ियों, रास्तों और गलियारों का सुदृढ़ता से निर्माण किया जाएगा और उनका उपयुक्त अनुरक्षण किया जाएगा।

(7) बालकों द्वारा उठाई जाने वाली अधिक से अधिक सामग्री वस्तुएं पुर्जे अथवा उपकरण का भार 16 किलोग्राम और बालिकाओं द्वारा 13 किलोग्राम होगा।

आग लगने के मामले में सावधानी। धारा 13(2)(फ)

8. (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में आग लगने की स्थिति में बचाव के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) प्रत्येक प्रतिष्ठान में, किसी भी कमरे में प्रवेश के लिए दरवाजों को ताला नहीं लगाया जाएगा अथवा बांधा नहीं जाएगा ताकि वे जब कोई व्यक्ति कमरे के भीतर हो आसानी से और तुरन्त खोले जा सकें।

(3) प्रत्येक प्रतिष्ठान के परिसर में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और आकार के अनुसार और उपयुक्त स्थान पर पानी, रेत से भरी बाल्टियां और रासायनिक अग्निशामकों की उपयुक्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी।

(4) कोई भी भवन, सीढ़ी, रैम्प, प्लेटफार्म या अन्य संरचना और संयंत्र/मशीनरी ऐसे ढंग से अनुरक्षित नहीं की जाएगी, जिसके कारण किसी कर्मकार को शारीरिक चोट लगने का जोखिम हो।

प्रथम उपचार पेटिका (किट)। धारा 13(2)

9. अधिभोगी, प्रत्येक प्रतिष्टान में, इसमें कार्य के लिए अनुज्ञान प्रत्येक 25 बच्चों की दर पर, एक प्रथम चिकित्सा पेटी तैयार तथा आसानी से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक पेटिका में पट्टी करने का सामान, कीटाणु रोधक तरल या मरहम 250 या 500 मिलीग्राम की एस्पिरीन तथा पेरासीटामोल की गोलियां, पुन: जलयोजन नमक घोल तथा कोई अन्य उचित चिकित्सा की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होगी।

निरीक्षकों की शक्तियां। धारा 17 तथा 18

10. अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, निरीक्षक,—

(क) ऐसे सहायक के साथ, जैसा वह उचित समझे, किसी भी समय, किसी भी प्रतिष्ठान में, जिसमें उसके पास विश्वास करने का कारण है कि बालक अधिनियम की अनुसूची के भाग क में दिये गये किसी व्यवसाय या अनुसूची के भाग ख में दी गई प्रक्रिया में, नियोजित है या कार्य के लिए अनुज्ञात है, प्रवेश कर सकता है;

(ख) किसी अधिभोगी से, सूचना जिसे वह आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकता है;

(ग) प्रतिष्ठान के नजदीक पाए गए किसी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है जहां उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उसमें बालक नियोजित है;

(घ) किसी व्यवसाय या किन्हीं प्रक्रियाओं में नियोजित किये जाने के लिए अनुज्ञात बालक के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य वस्तु का निरीक्षण करने के लिए मांग कर सकता है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या अधिनियम के उपबन्ध लागू किए जा रहे हैं या लागू किए जा चुके हैं; मौके पर या अन्यथा किसी व्यक्ति के कथन ले सकता है;

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो अधिनियम तथा नियमों के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो; तथा

(छ) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में निरीक्षक को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

प्ररूप क

[देखिए नियम 3(1)]

वर्ष.....

नियोक्ता का नाम और पता.....कार्य स्थल.....
.....

प्रतिष्ठान द्वारा किए जा रहे कार्य की किस्म.....
.....

क्रम संख्या	बालक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थाई पता	प्रतिष्ठान में प्रवेश की तिथि	कार्य की किस्म जिस में नियोजित किया गया है	कार्य के घण्टे	विश्राम अंतराल	भुगतान की गई मजदूरी	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप ख

(आयु प्रमाण पत्र)

[देखिए नियम 4(2)]

प्रमाण पत्र संख्या.....

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने.....(नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और उस ने चौदह वर्ष पूरे कर लिए हैं और मेरी जांच के अनुसार उसकी आयु जहां तक निकटतम सुनिश्चित की जा सकती है.....वर्ष की (पूरे) हैं। उसके वर्णात्मक चिह्न.....हैं।

बच्चों के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर.....

स्थान.....

दिनांक.....

चिकित्सा प्राधिकारी

पदनाम

प्रमिला ईसर,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम एवं रोजगार विभाग।

LABOUR DEPARTMENT

The 24th August, 2006

No. 14/17/93-2 Lab.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 18 and further read with Section 13 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) and with reference to Haryana Government, Labour Department, Notification No. 14/17/93-6 Lab., dated the 23rd May, 2000, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the health and safety of children employed or permitted to work in any establishment or class of establishments and grant of certificate of age, namely :—

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Act 61 of 1986);

(b) "dangerous part of a machinery" means any part of machinery from which in the ordinary course of its working, danger may reasonably be anticipated, even if such danger would arise from negligence or some outside source;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Inspector" means any person appointed as Inspector under Section 17 of the Act;

(e) "register" means the register required to be maintained under Section 11 of the Act;

(f) "section" means a section of the Act; and

(g) "Schedule" means the Schedule appended to the Act.

(2) Words and expression used in these rules but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

Register to be maintained Section 11.

3. (1) Every occupier of an establishment shall maintain a register in respect of children employed or permitted to work in Form A.

(2) The register shall be maintained on a yearly basis but shall be retained by the employer for a period of three years after the date of the last entry made therein.

Certificate of age Section 18(2)(c).

4. (1) All children in employment or seeking employment in any of the occupation as setforth in Part A of the Schedule or in any workshop wherein any of the processes is setforth in Part B of the Schedule, young person is carried on shall produce a certificate of age from the appropriate medical authority wherever required to do so by an Inspector.

(2) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form B.

(3) The charges payable to the medical authority for the issue of such certificate shall be Rs. 16/- (sixteen rupees only).

(4) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the child whose age is under question.

Explanation—For the purpose of this rule, the "medical authority" shall be a Government medical doctor not below the rank of in-charge Civil Hospital/Primary Health Centre or a regular doctor of equivalent rank employed in Employees State Insurance dispensaries or hospitals.

Working hours. Section 7(1) and (2) and 18(2)(b).

5. (1) The total number of working hours for a child labour employed about the business of an establishment inclusive of intervals for means and rest, shall not exceed thirty hours in any one week or five hours in any one day.

(2) A child labour shall not be employed continuously for more than three hours without an interval of at least one hour for meals or rest.

Health Section 13(2).

6. The premises of every establishment shall be—

(i) kept clean and free from accumulation of dirt and refuse;

(ii) kept sufficiently lighted during all working hours;

(iii) properly ventilated so as to permit sufficient air and light into the premises;

(iv) white-washed and varnished at least once in a year and a notice indicating the date of last white washing and varnishing shall be exhibited on the premises;

(iv) suitable arrangements of potable drinking water, latrine/urinals,washing places and spittoons be made.

Safety Section 13(2)(c).

7. (1) Every dangerous part of a machinery in an establishment shall be securely fenced by safeguards of substantial construction which shall be kept in position while these parts of the machinery so fenced are in motion or in use. The description and fencing of these dangerous parts of a machinery shall be in accordance with the provisions of Section 21 of the Factories Act, 1948 (Act 63 of 1948) and rules made thereunder.

(2) In every establishment, where manufacturing is carried on with the aid of electric power, suitable devices of cutting off power in emergencies from running machinery shall be provided and maintained.

(3) No employee shall be allowed or made to work near the moving machinery or belt with loose fitting clothes and the tight fitting clothes for the purpose will be provided by the employer.

(4) The employer shall provide suitable goggles for the protection of eyes of the employees engaged in any way open to—

(a) risk of injury to the eyes from the particles or framents thrown off in the course of process; and

(b) risk of the eyes by reasons of exposure to excessive light.

(5) No child shall be allowed or required to work on dangerous machines such as power

press, milling machines, circular saws, guillotine machine, decorticator oil expeller and cotton openers.

(6) All floors, steps stairs, passages and gangways shall be of sound construction and properly maintained.

(7) Maximum weight of material. article, tool or appliance to be lifted by male child shall be 16 kilogram and 13 kilogram for the female child.

Precautions in case of fire Section 13(2)(v).

8. (1) Every establishment shall be provided with adeqaute case of fire means of escape in the case of fire.

(2) In every establishment, the doors affording access to any room shall not be locked or facetted so that they can be easily and immediately opened from inside while any person is within the room.

(3) In every establishment, buckets filled with water, sand, chemical fire extinguishers shall be provided in suitable number and at suitable site according to the nature of work carried on and the size of the premises.

(4) No buildings, stairway, ramp, platform or other structure and plant/machinery shall be maintained in such a manner as to cause risk of bodily injury to any worker.

First aid kit Section 13(2).

9. The occupier shall arrange in every establishment, first aid kept readily and easily available at the rate of one kit for every 25 children allowed to work therein. Each kit shall contain an adequate supply of dressing material, antiseptic liquid or ointment, aspirin and paracitamol tablets of 250 or 500 mg., oral rehydration salts and any other appropriate medical supplies.

Powers of Inspectors Section 17 and 18(a).

10. For the purpose of securing compliance of the provisions of the Act, an Inspector may,—

(a) enter, with such assistant, as he thinks fit, at all times, any establishment in which he has reasons to believe that a child is employed or permitted to work in any occupation setforth in Part A of the Schedule or process setforth in Part B of the Schedule;

(b) require an occupier to furnish information as he may consider necessary;

(c) enquire any person found near the establishment and where he has reasonable cause to believe is, child employed therein;

(d) call for inspection of any register, documents or anything for the purpose of securing the health and safety of a child allowed to be employed in any occupation or any process;

(e) take, on the spot or otherwise, the statement of any person for the purpose of ascertaining whether the provisions of the Act are being or have been complied with;

(f) exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purpose of the Act and rules; and

(g) for the purpose aforesaid, the Inspector shall have the same powers as are vested in civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), in respect of production of documents.

FORM A

[See rule 3(1)]

Year.....

Name and address of employer.....

Place of work.....

Nature of work being done by the establishment.....

Sr. No.	Name of child	Father's Name	Date of Birth	Permanent Address	Date of joining establishment	Nature of work on which employed	Daily hours of work	Intervals of rest	Wages paid	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FORM B

(Certificate of age)

[See rule 4(2)]

Certificate No.....

I hereby certify that I have personally examined (Name)..... son/daughter of.....residing at.....and that he/she has completed his/her fourteenth year and his/her age, as nearly as can be ascertained from my examination is.....years (completed). His/her descriptive marks are.....

Thumb impression/signature of child.....

Place..... Medical Authority

Date..... Designation

PROMILLA ISSAR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Labour and Employment Department.